स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 268, दिनांक 03–09–2021

आईपीएस अधिकारी बनकर मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से करोड़ों रूपये के स्वर्ण आभूषणों की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार, 5.743 कि०ग्रा० स्वर्ण आभूषण (कीमत करीब 03 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 13–07–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी बनकर मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से आभूषणों की ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार कर उसके पास से 5.743 कि0ग्रा0 स्वर्ण आभूषण (कीमत करीब 03 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– राजीव सिंह पुत्र बिजेन्द्र पाल सिंह, निवासी डी–62, सेक्टर–पी, अलीगंज, लखनऊ।

कुल बरामदगीः–

1– 96 अदद स्वर्ण आभूषण कुल वजन 5.743 किलोग्राम (गले का हार, माला, कड़े, कंगन, सोने की चूड़ियॉ, अंगूठियॉ, झुमकी, झाले, मटरमाला, चेन) (कीमत करीब 03 करोड़ रूपये)
2– रू0 2,500/– नगद।
3– 02 अदद मोबाईल फोन।
4– 01 अदद पहचान पत्र (डीसीपी क्राइम ब्रान्च मुम्बई महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

अभियुक्त के आवास के पास से थाना क्षेत्र अलीगंज, लखनऊ दिनांक 03–09–2021 समय 16.45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा सर्राफा व्यवसायियों से छोटे–छोटे लेनदेन कर व्यवहार स्थापित कर बाद में उनसे बड़े पैमाने पर लेनदेन करके फर्जी चेक देकर फरार हो जाते है, जिसके सम्बंध में थाना महानगर लखनऊ पर अभियोग भी पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 03–09–2021 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी बनकर मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से स्वर्ण आभूषणों की ठगी करने वाला व्यक्ति मुम्बई भागने के प्रयास में है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज सिंह, मु0आ0 सुधीर सिंह, आरक्षी रमेश उपाध्याय, आरक्षी अमित, सत्यप्रकाश वर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना महानगर लखनऊ मय हमराही पुलिस बल की संयुक्त टीम ज्ञात स्थान पर पहॅुचकर वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष–2003 में इसकी माता जी अपने सहेली के साथ मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स अमीनाबाद, लखनऊ पर स्वर्ण आभूषण खरीदने जाया करती थीं, धीरे–धीरे इन लोगों का आपस में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये। इसके बाद वर्ष–2005 में यह भी मोहन

श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स की दुकान पर आने जाने लगा। इसके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे तथा सीतापुर से वर्ष–2014 में रिटायर हुए हैं, कुछ समय बाद यह अपने आप को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी बताने लगा। जिनके कारण मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स गोल मार्केट, महानगर लखनऊ के मालिक नितेश रस्तोगी से इसके भी प्रगाढ़ सम्बन्ध हो गये। जिसके कारण इसके द्वारा वर्ष 2020 के माह जुलाई में रू0 67 लाख एवं माह दिसम्बर में रू0 1.95 करोड़ के स्वर्ण आभूषण खरीदा गया। जिसके एवज में मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स गोल मार्केट महानगर को दिसम्बर 2020 में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के 07 अलग–अलग धनराशियों के पोस्ट डेटेड चेक (3 करोड़ 17 लाख रूपये के) दिया गया। परन्तु ज्वेलर्स को कोई न कोई बहाना बताकर बैंक में भुगतान हेतु चेक लगाने के लिए मना करता रहा जिसके कारण सभी चेक टाईम बार्ड हो गयी ज्वेलर्स द्वारा कई बार फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा कोई न कोई बहाना बना दिया जाता था तथा इसके द्वारा अपने को आईपीएस अधिकारी होने का रौब दिखाते हुए ज्वेलरी वापस करने एवं पैसा देने से मना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से जनपद लखनऊ के थाना महानगर में मु0अ0सं0 219/2021 धारा 406/419/420/506/34/170/467/468/471/411 भादवि के अभियोग पंजीकृत है, जिसमें इनको दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।